न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 182/2021

प्रार्थीगणः—

1. राजेन्द्रसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
2. केशरसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
3. इन्द्रसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
4. तारकंवर पत्नी मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
5. विजयसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
6. मूलसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
7. सोहनसिंह पुत्र सुल्तानसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
8. छैलसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
9. भैरूसिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
10. देशकंवर पत्नी सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
11. जबरसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
12. करणसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
13. उममेदसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
14. भंवरसिंह पुत्र हीरसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
15. शैतानकंवर पुत्री हीरसिंह जाति राजपूत निवासी राखी
16. नरेन्द्रसिंह पुत्र हनवन्तसिंह जाति राजपूत निवासी राखी

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी
2. तमाचखां पुत्र बीजाखां जाति मोयला मुसलमान निवासी ग्राम राखी तहसील समदडी जिला बाडमेर

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः—

1. श्री खुशवन्त सिंह अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री इमरान खां अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2

:: आदेश ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:45:30 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक :— 25.02.2022

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू. रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयश जरिये पत्थर [illegible]डी का विप्रार्थीगण के [illegible] पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय। विप्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री इमरान खां उपस्थित जिनकी ओर से सहमति प्रदान की गई।

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत खसरा संख्या एवं जमाबंदी (प्रतिलिपि) दिनांक 06.09.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि सरहद मौजा राखी पटवार मण्डल राखी भू.अ.नि.राखी तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 1090 रकबा 0.2833 हैक्टयर किस्म गै.मु.थान भूमि का अवलोकन किया। जिसमें प्रार्थीगण का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार समदडी को आदेशित किया जाता है कि दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा राखी पटवार मण्डल राखी भू.अ.नि.राखी तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 1090 रकबा 0.2833 हैक्टयर किस्म गै.मु.थान भूमि के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार समदडी को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार समदडी को थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार समदडी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:45:30 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 25.02.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाचक/2022/173

दिनांक : 26.02.2022

प्रार्थीगण बनाम विप्रार्थीगण

राजेन्द्रसिंह वगैरह **राजस्थान सरकार वगैरह**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व आवेदन सं....182/21 दिनांक :– 25.02.2022

–:: आदेश ::–

उपरोक्त प्रकरण में राजस्व ग्राम सरहद मौजा राखी पटवार मण्डल राखी भू. अ.नि राखी तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 593 रकबा 00.2833 हैक्टयर किस्म गै. मु.थान की सम्पूर्ण भूमि का नाप पैमाईश कर उक्त खसरे के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार. समदडी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फींस रूपये 500/–प्रार्थीगण अदा करेगा।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)

क्रमांक: वाचक/2022/174-177 दिनांक : 26.02.2022

प्रतिलिपि :

1. तहसीलदार समदडी ।
2. थानाधिकारी पुलिस थाना समदडी
3. हल्का पटवारी राखी को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. राजेन्द्रसिंह पुत्र मांगूसिंह जाति राजपूत निवासी राखी

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.09 13:45:30 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
सिवाना (बाड़मेर)
सिवाना